बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

पत्रांकः— 2690 दिनांकः— 28/10/22

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०—01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-7312/2021 में दिनांक 19.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन सं०—01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर नियुक्ति हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक—01.08.2022 से 11.08.2022 तक, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड, पटना में आयोजित किया गया। उक्त के अतिरिक्त दिनांक—02.04.2022 को प्रकाशित मेधासूची के पश्चात् प्राप्त परिवाद के निष्पादन के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों का अंक दिनांक—02.04.2022 को प्रकाशित मेधासूची के कटऑफ अंक से अधिक होने के कारण उक्त अवधि में वैसे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया गया।

काउंसलिंग की उक्त अवधि में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक, कोटि एवं अन्य डाटा जाँचोपरांत तैयार कर आयोग के वेबसाईट पर डाला गया है एवं **आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक—29.10.2022 से 06.11.2022 की संध्या 06:00 बजे अप० तक** समय सीमा निर्धारित की गयी है। आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज करने हेतु वेबसाईट—www.btsc.bih.nic.in पर इस लिंक (http://103.112.252.139/JE) के माध्यम से किया जा सकता है।

इस अवधि में उक्त सभी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त वैसे अन्य सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउंसलिंग कराया गया है एवं दिनांक—02.04.2022 को प्रकाशित मेधासूची के पश्चात् प्राप्त परिवाद के आलोक में आयोग कार्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों के संचिकाओं का पुनः जाँच किया गया एवं जाँचोपरांत विभिन्न कारणों से कतिपय अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है अथवा उनके अंक (कार्यानुभव के अंक सहित), कोटि इत्यादि में परिवर्त्तन हुआ है, वे भी उक्त अवधि (29.10.2022 से 06.11.2022 तक) में अपना प्राप्तांक/कोटि/अभियुक्ति आदि देख सकते हैं तथा आपत्ति (यदि हो तो) दर्ज कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर **रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर प्राप्त OTP के आधार पर Login कर** दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते है।

उक्त ऑनलाईन Objection के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई—मेल/निबंधित डाक/कुरियर/कार्यालय के प्राप्ति काउन्टर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:—

1. ऑनलाईन आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
2. कार्यानुभव का अंक केवल **संविदा** के आधार पर बिहार सरकार के अन्तर्गत **कनीय अभियंता** के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को दिया गया है। **कनीय अभियंता** के पद के

28/10/22

अतिरिक्त किसी अन्य पद पर कार्यरत होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कनीय अभियंता को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।

3. विज्ञापन के अनुसार कार्यानुभव हेतु गणना की तिथि दिनांक–28.02.2019 तक निर्धारित की गयी थी एवं तत्संबंधित कार्यानुभव/वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिनांक–17.02.2020 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है। अनुभव के गणना की तिथि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-9817/2020 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक–17.02.2020 तक की गई है। कार्यानुभव एवं वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिनांक–17.02.2020 तक का निर्गत होने पर उक्त प्रमाण–पत्र में अंकित पूर्ण अवधि हेतु मान्य किया गया है। परन्तु कार्यानुभव एवं वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिनांक–17.02.2020 से 14.03.2022 तक का निर्गत होने पर केवल 01.03.2019 से 17.02.2020 तक ही अधिकतम अवधि हेतु मान्य किया गया है।

4. वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।

5. अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग में कार्यानुभव के अंक हेतु दिये गये प्रमाण–पत्रों से **'संविदा'** के आधार पर विधिवत् नियोजित होकर कार्यरत होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं होने पर वैसे अभ्यर्थियों को कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है। वैसे अभ्यर्थियों द्वारा Online Portal पर Objection के माध्यम से संविदा के आधार पर कार्यरत होने का हस्ताक्षरित स्व–घोषणा पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में सभी सूचना अंकित करते हुए **साक्ष्य सहित** Upload किया जाना अनिवार्य है। सभी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी के कार्यानुभव के दावा को अमान्य करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

6. जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अद्यतन अप्राप्त है, उन्हें **Hold** पर रखा गया है। सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकुल टिप्पणी अथवा Fake से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता को समाप्त कर दिया जायेगा।

7. ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण हेतु जिस भी कोटि में दावा किया गया है, परन्तु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण–पत्र दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

8. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग (BC)/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि में दावा किया है, परन्तु निर्धारित अवधि तक का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) कोटि में दावा किया है, परन्तु निर्धारित अवधि तक का निर्गत जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

9. वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, परन्तु जाति अथवा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–15760, दिनांक–02.09.2022 के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा बिहार का मूल निवासी होने का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक–6026, दिनांक–19.04.2022 के अनुपालन के क्रम में लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी में रखा गया है।

26/10/22

11. विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा तथा न्यूनतम आयु सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

12. अधिकतम आयु सीमा में देय छुट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से कतिपय बिन्दुओं पर मंतव्य हेतु पत्राचार किया गया है, प्राप्त मंतव्य के फलाफल से आयु सीमा के कारण **Hold** पर रखे गये अभ्यर्थियों को योग्य/अयोग्य किये जाने के संबंध में अग्रेतर निर्णय लिया जा सकेगा।

नोटः– 1. **उक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त विज्ञापन में वर्णित शर्तों, अधियाची विभागों के नियमावली एवं नियुक्ति विषयक राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों का अनुपालन करते हुए मेधासूची तैयार किया जायेगा।**

2. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**

3. **संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको आदि की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

28/10/22

सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।